"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013— भाद्र 22, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, व्ही. अमरनाथ पिता श्री अमरू, उम्र 27 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 17/सी, सड़क नं. एम. पी. आर. रोड, जोन 1, सेक्टर 11, खुर्सीपार भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अमरनाथ दर्ज है. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर व्ही. अमरनाथ रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे व्ही. अमरनाथ पिता श्री अमरू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
अमरनाथ (AMARNATH) पिता-श्री अमरू निवासी-क्वा नं. 17/सी सड़क नं. एम. पी. आर. रोड, जोन 1 सेक्टर 11, खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	व्ही. अमरनाथ (V. AMARNATH) पिता-श्री अमरू निवासी-क्वा नं. 17/सी सड़क नं. एम. पी. आर. रोड, जोन 1 सेक्टर 11, खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ललित उर्फ गैंदलाल पिता श्री रामजी, आयु 24 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 2 ए, सड़क नं. 82, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शाला अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गैंदलाल पिता श्री रामजी सिंह दर्ज है. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर ललित साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ललित साहू पिता श्री रामजी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
गैंदलाल पिता-श्री रामजी निवासी-क्वा नं. 2 ए, सड़क नं. 82 सेक्टर 6, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ललित साहू पिता-श्री रामजी निवासी-क्वा नं. 2 ए, सड़क नं. 82 सेक्टर 6, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरविन्दर कौर जौहल पति श्री सतनाम सिंह जौहल, उम्र 47 वर्ष, निवासी-ई-पाकेट, 27/बी., मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम हरविन्दर कौर पति श्री सतनाम सिंह जौहल दर्ज है. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर हरविन्दर कौर जौहल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे हरविन्दर कौर जौहल पति श्री सतनाम सिंह जौहल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
हरविन्दर कौर पति-श्री सतनाम सिंह जौहल निवासी-ई-पाकेट, 27/बी., मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	हरविन्दर कौर जौहल पति-श्री सतनाम सिंह जौहल निवासी-ई-पाकेट, 27/बी., मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भागवत गणेश कुर्रे पिता श्री गणेश कुर्रे, उम्र 26 वर्ष, निवासी-ग्राम-जालबांधा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एव अन्य अभिलेखां मे मेरे नाम के साथ सरनेम भागवत गणेश कुर्वे दर्ज हो गया है. यह कि मैं अपने सरनेम को परिवर्तित कर अपना नाम भागवत गणेश कुर्रे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे भागवत गणेश कुर्रे पिता श्री गणेश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
भागवत गणेश कुर्वे पिता-श्री गणेश निवासी-ग्राम-जालबांधा पोस्ट-विजयतला तहसील-खैरागढ जिला-राजनांदगाव (छ. ग.)	भागवत गणेश कुर्रे पिता-श्री गणेश निवासी-ग्राम-जालबांधा पोस्ट-विजयतला तहसील-खैरागढ जिला-राजनादगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आरती कावले पति श्री सुधीर कावले, आयु 33 वर्ष, निवासी-19, सृष्टि कालोनी वार्ड नं. 39, राजनांदगांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मैं नाम कु. आरती मार्जिवे पिता श्री नरेन्द्र मार्जिवे के नाम से जानी जाती थी. यह कि मेरी शादी दिनांक 25 मई, 2005 को व्यंकटेश नगर नंदनवन, नागपुर निवासी श्री सुधीर कावले आत्मज श्री प्रभाकर कावले के साथ हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ. विवाहोपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती आरती कावले रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती आरती कावले पति श्री सुधीर कावले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
आरती मार्जिवे पिता-श्री नरेन्द्र मार्जिवे निवासी-19, सृष्टि कालोनी, वार्ड नं.39 कमला कालेज रोड, राजनांदगांव तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	श्रीमती आरती कावले पति-श्री सुधीर कावले निवासी-व्यंकटेश नगर के. डी. के. कालेज के पास नंदनवन, नागपुर-9 (महाराष्ट्र)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विष्णु प्रसाद साहू आत्मज स्व. शोभा राम, उम्र 54 वर्ष, निवासी-सड़क नं. 29, ब्लाक नं. 29, रूम नं. सी, सेक्टर 5, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में विभाग-एस. एम. एस.-1 (टी. टी. एस.) में कार्यरत हूं तथा तथा मेरा पर्सनल नं. 145775 है. यह कि मेरे बी. एस. पी. के कागजात तथा सेवा पुस्तिका में मेरा नाम विष्णु प्रसाद दर्ज है तथा मेरे पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम विष्णु प्रसाद साहू दर्ज है. यह कि मैं अपने नाम के साथ सरनेम जोड़कर अपना नया नाम विष्णु प्रसाद साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे विष्णु प्रसाद साहू आत्मज स्व. शोभा राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
विष्णु प्रसाद आत्मज-स्व. शोभा राम निवासी-सड़क नं. 29, ब्लाक नं. 29 रूम नं.-सी, सेक्टर 5, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	विष्णु प्रसाद साहू आत्मज-स्व. शोभा राम निवासी-सड़क नं. 29, ब्लाक नं. 29 रूम नं.-सी, सेक्टर 5, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आर. के. सूर्यवंशी आत्मज श्री श्यामराव सूर्यवंशी, उम्र 45 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 4-सी, सड़क नं. 66, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 18-8-1999 है तथा जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम सृष्टि अंकित है. यह कि मैं अपनी पुत्री के नाम के साथ सरनेम जोड़कर उसका नाम सृष्टि सूर्यवंशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को सृष्टि सूर्यवंशी पिता श्री आर. के. सूर्यवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
सृष्टि पिता-श्री आर. के. सूर्यवंशी निवासी-क्वा नं. 4-सी, सड़क नं. 66 सेक्टर 6, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सृष्टि सूर्यवंशी पिता-श्री आर. के. सूर्यवंशी निवासी-क्वा. नं. 4-सी, सड़क नं. 66 सेक्टर 6, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

प्र. क्र./22/ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक /162/अ. विं. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक तुलाराम चतुर्वेदानी पिता केशवराम चतुर्वेदानी, निवासी-ग्राम व पोस्ट तथा थाना-मंदिर हसौद, तहसील आरंग, जिला रायपुर ने गुरू घासीदास मंदिर ट्रस्ट, ग्राम बाराडेरा, तुलसी, पोस्ट- मंदिर हसौद, विकासखण्ड धरसींवा, जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"गुरू घासीदास मंदिर ट्रस्ट" ग्राम-बाराडेरा, तुलसी, पोस्ट-मंदिर हसौद, विकासखण्ड-धरसींवा, जिला रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 08-10-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30-08-2013 को जारी.

टी. सी. साहू,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया, बैकुण्ठपुर

बैकुण्ठपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्रमांक /483/सपंको/परि./2013/483.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् निम्न सहकारी समिति को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. समिति द्वारा समयावधि समाप्त होने के बाद भी पंजीयन की निर्धारित शर्त क्रमांक 1, 7 एवं 8 का पालन नहीं किया गया है.

अतः मैं, एम. एक्का, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/छ. ग. शासन/15-1 डी दिनांक 2-7-99 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न समिति (कॉलम-2 में) को परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा 70(1) के तहत् कॉलम-3 में अंकित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. (1)	समिति का नाम व पंजीयन क्रमांक (2)	परिसमापक का नाम व पद (3)
1.	प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, सोनहत पंजीयन क्रमांक-63 दिनांक 27-07-2007	श्री एस. के. त्रिपाठी, सहकारी निरीक्षक एवं स. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 06-08-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एम. एक्का,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलरामपुर

बलरामपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक/सपंब/परि./2013/466.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् निम्न सहकारी समिति को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. समिति द्वारा समयावधि समाप्त होने के बाद भी पंजीयन की निर्धारित शर्त क्रमांक 7, 8 एवं 11 का पालन नहीं किया गया है.

अतः मैं, एम. एक्का, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलरामपुर जिला-बलरामपुर, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/छ. ग. शासन/15-1 डी दिनांक 2-7-99 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न समिति (कॉलम-2 में) को परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा 70(1) के तहत् कॉलम-3 में अंकित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. (1)	समिति का नाम व पंजीयन क्रमांक (2)	परिसमापक का नाम व पद (3)
1.	प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, वाड्रफनगर पंजीयन क्रमांक-2129 दिनांक 01-08-2007	श्री शान्तियुस तिर्की, स. वि. अ., वाड्रफनगर

यह आदेश आज दिनांक 14-08-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एम. एक्का,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/उपको/परिस./340/2013.— महिला सेवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., परसाभाठा (बालको) पंजीयन क्रमांक 70 दिनांक 16-05-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 231 दिनांक 29-6-2013 द्वारा दिया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) महिला सेवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., परसाभाठा (बालको) को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./341/2013.— श्री श्याम महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., ढोढ़ीपारा (कोरबा) पंजीयन क्रमांक 74 दिनांक 14-02-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 232 दिनांक 29-6-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) श्री श्याम महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., ढोढ़ीपारा (कोरबा) को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. जे. पाटले, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./342/2013.— जय बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., कोरबा, पंजीयन क्रमांक 89 दिनांक 12-07-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 233 दिनांक 29-6-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) जय बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. के. चौबे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./343/2013.— कृष्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., पथर्रीपारा (कोरबा), पंजीयन क्रमांक 90 दिनांक 12-07-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 234 दिनांक 29-6-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) कृष्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., पथर्रीपारा (कोरबा) को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. बी. खारे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

एन. कुजूर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.